08/04/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी वकील वादी द्वारा अभी प्रतिवादीगण की तलबी नहीं करवायी गयी है। शेष की तलबी हेतु पूर्व में दिये गये आदेशों की भी पालना नहीं हुई है। अतः वाद वादी का बाबत तकामना व स्थायी निषेधाज्ञा तलबी शेष बंद की जाकर तलबी अभाव में अंतर्गत O-9, R-5 ज.वी. के तहत एतद द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर फाईल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.24 16:18:01 IST
Reason: SelfAttested